

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम  
श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 56/2012

संस्थापन दिनांक 15.02.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद  
चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-सोनू राणा पुत्र गनेशसिंह राणा (जाट)  
उम्र 19 साल, निवासी ग्राम मस्तूरा थाना  
बेलगढ़ा जिला ग्वालियर हाल कालपी ब्रिज  
ग्वालियर म.प्र.

2-सतेन्द्र शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा उम्र  
18 साल, निवासी रेवर न्यू कॉलोनी जी-3,  
मुरार ग्वालियर

— अभियुक्तगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 12.01.12 को 22:00 बजे स्टेशन रोड गोहद चौराहा पर अभियुक्त सोनू राणा अपने आधिपत्य में एक देशी पिस्टल हाथ की बनी हुई तथा अभियुक्त सतेन्द्र शर्मा एक जिन्दा करतूस 32 बोर का बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.06.12 को एस.आई. बी0एल0 बसंल अ0सा02 को जर्ज मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर दो लड़के पिपाड़ी तरफ से पिस्टल लेकर

अपराध घटित करने के इरादे से आ रहे हैं। सूचना की तत्दीक हेतु मय फोर्स एच.सी. गोपसिंह, आशाराम, आरक्षक मनोज शुक्ला, गुलाब, कमलसिंह, प्रभात भदौरिया, सैनिक सुभाष अ0सा01 के शासकीय वाहन से स्टेशन रोड पर पहुंचे तो दो लड़के आते दिखे जिन्हें रोककर तलाशी ली तो मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के ने अपना नाम सोनू राणा निवासी कालपी ब्रिज ग्वालियर का बताया तथा उसकी तलाशी ली तो पैन्ट की कमर में बांयी तरफ पिस्टल खुरसे था तथा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लड़के का नाम पूछा तो उसने अपना नाम सतेन्द्र शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी रेवर व्यू कॉलोनी ग्वालियर का बताया तलाशी ली तो पैन्ट की दांयी जेब में एक 32 बोर का जिन्दा कारतूस मिला। आरोपीगण से पिस्टल व राउण्ड रखने बाबत वैध लाइसेन्स पूछने पर आरोपीगण ने न होना बताया। तत्पश्चात पिस्टल व राउण्ड तथा लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एल.-9315 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 बनाया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 व 4 बनाया तत्पश्चात मय माल व आरोपीगण के थाना वापिस आकर थाना गोहद चौराहा में अप0क0 09/12 की एफ.आई. आर. प्र0पी-5 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या दिनांक 12.01.12 को 22:00 बजे स्टेशन रोड गोहद चौराहा पर अभियुक्त सोनू राणा अपने आधिपत्य में एक देशी पिस्टल हाथ की बनी हुई तथा अभियुक्त सतेन्द्र शर्मा एक जिन्दा कारतूस 32 बोर का बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये ?

### // विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी बी0एल0बंसल अ0सा02 का कथन है कि वह दिनांक 12.01.12 को थाना गोहद चौराहा पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के पल्सर मोटरसाइकिल पर पिस्टल लेकर आ रहे हैं उक्त सूचना पर से मय फोर्स एच.सी. गोपसिंह, आशाराम, मनोज शुक्ला,

गुलाबसिंह, प्रताप भदौरिया, कमलसिंह, सैनिक सुभाष अ0सा01 को साथ लेकर स्टेशन रोड पर पहुंचा जहां पर एक पल्सर मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते दिखे जिन्हें रोककर नाम पता पूछा तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम सोनू राणा बताया जिसकी तलाशी ली तो एक पिस्टल 32 बोर की मिली तथा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सतेन्द्र शर्मा बताया जिसकी तलाशी ली तो उसके पैन्ट की जेब में से एक जिंदा कारतूस मिला दोनों से कट्टा रखने का लाइसेन्स मांगा तो न होना बताया। मौके पर पिस्टल, कारतूस एवं मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 व 2 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-3 व 4 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा थाने पर आकर अपराध कायमी की जो प्र0पी-5 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6. सुभाष श्रीवास्तव अ0सा01 का कथन है कि वह दिनांक 12.01.12 को थाना गोहद चौराहा पर होमगार्ड सैनिक के पद पर पदस्थ था। दरोगाजी बी0एल0 बंसल अ0सा02 और प्र0आरक्षक आशाराम के साथ स्टेशन रोड गोहद चौराहा पर गया था। स्टेशन की तरफ से दो लड़के बाईक से आ रहे थे तो उन्हें रोका तथा उनकी तलाशी ली तो उनकी कमर में एक पिस्टल बांयी तरफ मिली तथा नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम सोनू राणा पुत्र गणेशसिंह राणा जाट निवासी कालपीब्रिज कॉलोनी बताया तथा पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम सतेन्द्र शर्मा निवासी ग्वालियर बताया और उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से जिंदा 315 बोर का कारतूस मिला। उसने तथा दरोगाजी ने दोनों लड़कों को पकड़ और उनको थाने लेकर आये तथा थाने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 व 2 बनाये गये थे जिन पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी सोनू राणा व सतेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-3 व 4 बनाये गये थे जिन पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. साक्षी सुरेश दुबे अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.01.12 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गोहद चौराहा के अप0क0 09/12 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक पिस्टल देशी 32 बोर एवं एक 32 बोर के राउण्ड की जांच उसके द्वारा की गयी। वह करीब 18 वर्ष से पुलिस विभाग में शस्त्रों का परीक्षण का कार्य कर रहा है। उसने इस बाबत केन्द्रीय वर्कशाप भोपाल से 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जांच के दौरान पिस्टल का एक्शन

चैक किया तो एक्शन सही पाया गया, पिस्टल चालू हालत में थी पिस्टल से फायर किया जा सकता था तथा राउण्ड चालू हालत में था जिसके पीछे पेंदी पर 7.65 के.एफ. लिखा था। थाना गोहद चौराहा से एच.सी. विजयराजसिंह के द्वारा पिस्टल एवं राउण्ड एक सफेद कपड़े में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुआ। बाद जांच कर अपनी सील नमूना लगाकर उसी कपड़े में पिस्टल व राउण्ड सील कर थाना गोहद चौराहा को वापिस किए गए। उसके द्वारा यह जांच रिपोर्ट तैयार की गयी थी जो प्र०पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उक्त नमूना सील अंकित है जो उसके द्वारा पिस्टल एवं बोर के परीक्षण उपरांत सील करने में इस्तेमाल की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी राजू अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.01.12 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक 1043 बृजेन्द्रसिंह द्वारा थाना गोहद चौराहा द्वारा अप०क० 09/12 से संबंधित केस डायरी एवं अभियुक्त सोनू राणा पुत्र गणेशसिंह राणा जाट निवासी कस्तूरबा थाना बैलगड़ा जिला ग्वालियर हाल कालपीब्रिज ग्वालियर से एक पिस्टल देशी हाथ की बनी एवं अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी रेवरव्यू कॉलोनी जी-3, मुरार के आधपत्य से एक 32 बोर पिस्टल का कारतूस जिन्दा मोहरबंद डी०एम० के समक्ष प्रस्तुत किए तब डी.एम. द्वारा एस. पी. के प्रतिवेदन एवं केस डायरी एवं आयुध का अवलोकन करने के उपरांत उक्त अभियुक्तगण के पास शस्त्र रखने का कोई वैध लाइसेन्स न होने से अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जो प्र०पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन डी०एम० अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। चूंकि उसने डी०एम० के अधीनस्थ रहकर कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

9. अभियोजन मामले में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जबकि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान स्टेशन रोड है। और प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र जप्तीकर्ता बी०एल०बंसल अ०सा०२ व साक्षी सुभाष अ०सा०१ के कथन अभियोजन द्वारा कराये गये हैं। बी०एल०बंसल अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि उसके साथ प्र०आरक्षक गोपसिंह, आरक्षक गुलाब, मनोज एवं कमल तथा सुभाष अ०सा०१ साथ में थे लेकिन सुभाष अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि आरक्षक मनोज, गुलाब, कमल, एवं प्र०आर० गोपसिंह कोई भी उनके साथ नहीं गया था। अतः दोनों ही पुलिस साक्षीगण ने विरोधाभासी कथन



किए हैं।

10. बी0एल0बंसल अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि आरोपीगण से जप्त मोटरसाइकिल लाल रंग की थी और यही उल्लेख जप्ती पत्रक प्र0पी-1 में भी है लेकिन सुभाष अ0सा01 ने कथन के पैरा 2 में बताया है कि उसने मोटरसाइकिल देखी थी जो काले रंग की थी। अतः दोनों साक्षीगण ने इस संबंध में भी विरोधाभासी कथन किए हैं और दोनों ही साक्षीगण ने मोटरसाइकिल किस कंपनी की थी यह बताने में असमर्थता बतायी है।

11. एफ.आई.आर. प्र0पी-5 के अनुसार मौके पर ही जप्ती बनाई गयी है और जप्ती पत्रक प्र0पी-1 में भी संपत्ति सील किए जाने का उल्लेख है उक्त दस्तावेज अभियोजन मामले के अनुसार घटनास्थल पर ही बनाया गया है लेकिन बी0एल0बंसल अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया है कि उसने मौके पर पिस्टल सीलबंद नहीं की थी और सुभाष अ0सा01 ने भी पैरा 2 में बताया है कि थाने पर जप्ती के दो पंचनामे बने थे जो पहले से ही भरे थे और पैरा 3 में बताया है कि मौके पर आयुध सीलबंद नहीं किया गया। अतः दोनों उक्त साक्षीगण के कथन से ही घटनास्थल पर जप्ती पत्रक विरचित कर सीलबंद किए जाने की कार्यवाही की जाना प्रमाणित नहीं होती है और उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही को घटनास्थल पर न किए जाने का कोई कारण भी अभियोजन ने नहीं बताया है। गिरफ्तारी के संबंध में भी सुभाष अ0सा01 जोकि गिरफ्तारी का साक्षी है, ने कथन के पैरा 3 में बताया है कि गिरफ्तारी के दस्तावेज थाने पर बनाये गये थे जहां उसने साइन किए थे। अतः घटनास्थल पर गिरफ्तारी की जाना भी इस पुलिस साक्षी के द्वारा खण्डित की गयी है।

12. सुभाष अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में यह बताने में असमर्थता बतायी है कि किस आरोपीगण से क्या आयुध जप्त हुआ था जबकि उसने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना बताया है जो उसके कथन को अस्वाभाविक बनाता है और उक्त साक्षी द्वारा पुलिस कथन प्र0डी-1 में घटना का वर्णन में बताया है, भी विवेचना में दिए जाने से इंकार किया है। अतः इस साक्षी द्वारा विवेचना की कार्यवाही को भी चुनौती दी गयी है।

13. सुभाष अ0सा01 ने कथन के पैरा 4 में और बी0एल0बंसल अ0सा02 ने कथन के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण से मोटरसाइकिल के दस्तावेज मांगे गये थे परन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि दस्तावेज न होने के कारण जब आरोपीगण से बहस हो गयी तब यह असत्य कार्यवाही की गयी।

14. अतः स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में पुलिस साक्षीगण

बी०एल०बंसल असा०२ व सुभाष अ०सा०१ के कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथन में अन्य साथ गये पुलिसकर्मी, घटनास्थल पर की गयी कार्यवाही के संबंध में परस्पर उपरोक्तानुसार विरोधाभासी तथ्य प्रकाश में आये हैं। घटनास्थल पर आयुध को सीलबंद किए जाने का कोई कारण भी अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है जिससे कि समाधान हो सके कि विचारण के प्रत्येक चरण पर प्रेषित आयुध ही आरोपीगण से जप्त हुआ था। घटनास्थल पर जप्ती पत्रक प्र०पी-१ व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-२ भी विरचित किया जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है जिसका लाभ आरोपीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है कि आरोपीगण दिनांक 12.01.12 को 22:00 बजे स्टेशन रोड गोहद चौराहा पर अभियुक्त सोनू राणा अपने आधिपत्य में एक देशी पिस्टल हाथ की बनी हुई तथा अभियुक्त सतेन्द्र शर्मा एक जिन्दा करतूस 32 बोर का बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये।

15. परिणामतः आरोपीगण को धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्त आयुध अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम०पी०-०७-एम.एल.९३१५ पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित माना जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०